न्यायालयः अपर सिविल जज (जू0डि0)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोंच, जनपद जालौन।
मुकदमा सं0– 02/2020
सरकार बनाम् नरेन्द्र सिंह

मु0अ0सं0 130/2020
धारा 4/25 आयुध अधिनियम,
थाना कैलिया, जिला जालौन।

आरोप

मैं, अभिषिक्ता यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोंच**,** आप अभियुक्तगण **1–नरेन्द्र सिंह** को एतदद्वारा निम्न आरोपों से आरोपित करती हूँः–

1– यह कि दिनांक 26.09.2020 को समय 12.15 बजे दिन, स्थान पिपरीकला तिराहा पेट्रोल पम्प के पास, अंतर्गत थाना कैलिया जिला जालौन में पुलिस बल द्वारा आपके कब्जे से एक अदद चाकू बरामद किया गया, जिसका रखने का वैध लाईसेन्स आपके पास नहीं था। इस प्रकार आप ने आयुध अधिनियम की धारा–4/25 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद् द्वारा मैं आपको निर्देश देती हूँ कि उक्त आरोपों में आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांक–24.09.2021

(अभिषिक्ता यादव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोंच
जनपद जालौन।

आरोप अभियुक्त को पढ़ कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोपों से इंकार किया व विचारण की मांग की।

दिनांक–24.09.2021

(अभिषिक्ता यादव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोंच
जनपद जालौन।